भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1304

12 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: 'कृषि कानूनों के संबंध में भ्रांति दूर करने' से संबंधित प्रचार पर व्यय

1304. श्री सैयद नासिर हुसैन:

श्री राजमणि पटेल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सितम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 के बीच सरकार के 'कृषि कानूनों के संबंध में भ्रांति दूर करने' से संबंधित प्रचार अभियान पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) सितम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 के बीच सरकार के 'कृषि कानूनों के संबंध में भ्रांति दूर करने' से संबंधित प्रचार अभियान पर विदेश में कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उन सभी सरकारी विभागों, अभिकरणों और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 'कृषि कानूनों के संबंध में भ्रांति दूर करने' से संबंधित प्रचार अभियान को शेयर करने और प्रचारित करने के लिए कहा गया था?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सितम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 के बीच देश में कृषि कानून के प्रचार अभियान से संबंधित मुद्दों के विज्ञापन के लिए 7,25,57,246/- रूपये जारी करने के लिए वचन दिया है।

किसानों और अन्य हितधारकों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से गलतफहमी और वास्तविकताओं सहित कृषि कानूनों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए बीओसी के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए हैं।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों और अन्य हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा वेबीनार के माध्यम से कृषि कानूनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कृषि कानूनों पर तीन प्रोमोशनल और दो एज्यूकेशनल फिल्में बनाने के लिए 67,99,750/- रूपये खर्च किए गए हैं।

इसके अलावा, प्रिंट विज्ञापनों के लिए रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विविध व्यय के रूप में 1,50,568 रूपये खर्च किए गए।

(ख) से (ग): विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार द्वारा कृषि कानूनों के बारे में विदेशों में गलतफहमी को दूर करने संबंधी प्रचार अभियान पर खर्च शून्य है।

हालांकि, मिशन/केन्द्र ने नियमित कूटनीतिक कार्य के भाग के रूप में नवीनतम प्रगति, सरकार का दृष्टिकोण और कृषि कानून संबंधी बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) सहित उपयोगी सूचना आदि को प्रवासियों तक पहुंचाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर साझा किया।

भारत सरकार के संबंधित विभागों ने भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर "कृषि कानूनों" के बारे में जागरूकता पैदा की है।

****